रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102022-239274 CG-DL-E-01102022-239274

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 4430]** No. 4430] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

## कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

# आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

का.आ. 4638(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) (पांचवां संशोधन) आदेश, 2022 है।
  - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के खंड 20 (ग) में,-
  - (i) उप-खंड (4) में, "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, " तीन वर्ष "शब्द रखे जाएँगे ।
  - (ii) उप-खंड (5) में, " 30 सितंबर, 2022" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "31 मार्च, 2023" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएँगे ।

6608 GI/2022 (1)

3. मूल आदेश के, 'प्रारूप छ -3' में, मद 5 के बाद चिह्नित क्षेत्र \*\* में, "....22 फरवरी, 2023 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "22 फरवरी, 2024 तक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएँगे।

[फा. सं. 3-14/2017 उर्वरक-विधि]

प्रिय रंजन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 758 (अ) तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या 4557 (अ) तारीख 27 सितंबर, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन की गई थी।

#### MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

## (Department of Agriculture and Farmers Welfare)

## **ORDER**

New Delhi, the 30th September, 2022

- **S.O.** 4638(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-
- 1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Fifth) Amendment) Order, 2022
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, (hereinafter referreed to as principal Order), in clause 20C,-
  - (a) in sub-clause (4) for the words "two years" the words "three years" shall be substituted;
  - (b) in sub-clause(5), for the word, figures and letters " $30^{th}$  September, 2022", the word, letters and figures " $31^{st}$  March,2023" shall be substituted.
- 3. in Form G-3 of the Principal Order, in the portion of the area marked as \*\* occurring after item 5, for the words, figures and letters "upto 22<sup>nd</sup> day of February, 2023", the words, figures and letters "upto 22<sup>nd</sup> day of February, 2024" shall be substituted.

[F. No. 3-14/2017 Fert Law]

PRIYA RANJAN, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, extraordinary, Part II Section 3, sub-section(i) vide notification number G.S.R. 758 (E), dated 25<sup>th</sup> September, 1985 and was last amended vide notification number 4557 (E) dated 27<sup>nd</sup> September, 2022.